न्यायालय– मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण एवं
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–02, किशनगढ़, जिला अजमेर।

पीठासीन अधिकारी – **शालिनी शर्मा, आर.जे.एस.** (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

क्लेम याचिका संख्या – 206/2021
सी.आई.एस. संख्या – 30/2020
सी.एन.आर. संख्या – RJAJ170001732020

मनभर देवी पत्नी श्री मोतीराम, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी नयागांव (हरमाडा) तहसील रूपनगढ़, जिला अजमेर।

––प्रार्थिया/क्लेमेंट

ब ना म

1 जगदीश जाट पुत्र श्री भंवर लाल जाट, उम्र 31 वर्ष, निवासी नयागांव (हरमाडा) तहसील रूपनगढ़, जिला अजमेर राजस्थान।
(चालक वाहन संख्या आर.जे.–01–एम.एस.–6954)

2 नन्द किशोर पुत्र श्री नाथू जी, उम्र 45 वर्ष निवासी गगवाना, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर।
(रजिस्टर्ड स्वामी वाहन संख्या आर.जे.–01–एम.एस.–6954)

3 दी ओरियन्टल इंश्योरेन्स कम्पनी लि., जरिये प्रबन्धक कार्यालय तृतीय मंजिल, आनन्द भवन, संसार चन्द रोड, जयपुर।
कवर नोट नंबर– आर.ए.– 0000113269
वैधता दिनांक 25.06.2018 से 24.06.2019
(बीमित वाहन संख्या आर.जे. 01 एमएस 6954)

––अप्रार्थीगण

क्लेम याचिका संख्या – 205/2021
सी.आई.एस. संख्या – 31/2020
सी.एन.आर. संख्या – RJAJ170001742020

1 रामजी लाल पुत्र श्री मोतीराम, उम्र 22 वर्ष, निवासी नयागांव (हरमाडा) तहसील रूपनगढ़, जिला अजमेर।

––प्रार्थी/क्लेमेंट

ब ना म

1 जगदीश जाट पुत्र श्री भंवर लाल जाट, उम्र 31 वर्ष, निवासी नयागांव (हरमाडा) तहसील रूपनगढ़, जिला अजमेर राजस्थान।
(चालक वाहन संख्या आर.जे.–01–एम.एस.–6954)

2 नन्द किशोर पुत्र श्री नाथू जी, उम्र 45 वर्ष निवासी गगवाना, तहसील

किशनगढ़, जिला अजमेर।
(रजिस्टर्ड स्वामी वाहन संख्या आर.जे.–01–एम.एस.–6954)

3 दी ओरियन्टल इंश्योरेन्स कम्पनी लि., जरिये प्रबन्धक कार्यालय तृतीय मंजिल, आनन्द भवन, संसार चन्द रोड, जयपुर।
कवर नोट नंबर– आर.ए.– 0000113269
वैधता दिनांक 25.06.2018 से 24.06.2019
(बीमित वाहन संख्या आर.जे. 01 एमएस 6954)

––अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 140/166 मोटर व्हीकल एक्ट सपठित धारा/नियम 10(2) राज. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 एवं संशोधित अधिनियम, 1994

उपस्थित – उपरोक्त दोनों क्लेम याचिकाओं में
1 प्रार्थीगण की ओर से – अधिवक्ता श्री रामकिशन जाट।
2 अप्रार्थी सं. 1 की ओर से – अधिवक्ता श्री सम्पत सिंह।
3 अप्रार्थी सं. 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
4 अप्रार्थी सं. 3 की ओर से – अधिवक्ता श्री हर्ष माथुर।

– :: अधिनिर्णय :: –

दिनांक ::– 30.06.2026

1. उक्त दोनों क्लेम याचिका संख्या 206/2021 व 205/2021 एक ही दुर्घटना से संबंधित होने से उक्त दुर्घटना में क्लेम याचिका संख्या 206/2021 आहत श्रीमती मनभर देवी के द्वारा व अन्य क्लेम याचिका संख्या 205/2021 आहत रामजीलाल के द्वारा पृथक–पृथक पेश की गई, जिनको समेकित कर विचारण किया गया। अतः इनका निस्तारण एक ही निर्णय द्वारा किया जा रहा है।

2. उक्त याचिकाएं मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, किशनगढ (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, किशनगढ) के समक्ष प्रस्तुत की गई। उक्त याचिकाएं निस्तारण हेतु माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अजमेर के आदेशानुसार इस अधिकरण को अंतरित होकर प्राप्त हुई, जिसे नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत क्लेम याचिका से संबंधित दुर्घटना के **संक्षिप्त तथ्य** इस प्रकार है कि दिनांक 06.04.2019 को समय 7.00 पी.एम. की घटना इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण श्रीमती मनभर देवी एवं रामजीलाल मोटरसाइकिल नम्बर आर.जे.–42–एस.सी–3316 पर सवार होकर नयागांव से हरमाड़ा बालाजी के जा रहे थे कि स्थान हनुमान सिंह के खेत के पास पहुंचे, उस समय सामने से एक

मोटरसाइकिल नम्बर आर.जे–01–एम.एस–6954 के चालक ने उक्त मोटरसाइकिल तेज गति व लापरवाही पूर्वक चलाते हुये अपनी साइड में चल रहे प्रार्थिगण के जोरदार टक्कर मारी, जिससे प्रार्थीगण के दुर्घटना में गंभीर चोटें आई, जिन्हें इलाज हेतु मार्बल सिटी अस्पताल, किशनगढ़ में भर्ती करवाया। जहां से रेफर होकर श्री चारभुजा हॉस्पिटल, अजमेर में इलाज करवाया। उक्त दुर्घटना मोटरसाइकिल नम्बर आर.जे–01–एम.एस–6954 के चालक द्वारा उक्त मोटरसाइकिल को बड़ी तेज गति व लापरवाही पूर्वक चलाकर टक्कर मारने से घटित हुई, इत्यादि।

4. उक्त दुर्घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना बांदरसिंदरी में किए जाने पर प्रथम सूचना सं. 41/2019 दर्ज की जाकर तफ्तीश आरम्भ की व बाद अनुसंधान अप्रार्थी संख्या 1 जगदीश को दुर्घटना हेतु दोषी पाते हुए उसके विरूद्ध सक्षम न्यायालय में चालान अन्तर्गत धारा 279, 337, 338 भारतीय दंड संहिता के तहत प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थीगण दुर्घटना में लिप्त वाहन के चालक, मालिक व बीमा कम्पनी है, जो संयुक्त व पृथक–पृथक रूप से क्षतिपूर्ति राशि अदा करने हेतु उत्तरदायी है। अंत में क्लेम याचिका में क्षतिपूर्ति राशि मय ब्याज दिलाये जाने की प्रार्थना की है।

5. **अप्रार्थी संख्या 1** के द्वारा क्लेम याचिका का **जवाब** इस आशय का पेश किया गया है कि प्रार्थी ने क्षतिपूर्ति की राशि की मांग की है, जो बढ़ा–चढ़ाकर की है। प्रार्थी क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है और प्रार्थीगण मय दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित करे कि वे क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अप्रार्थी सं. 1 उक्त दुर्घटना के लिए जिम्मेदार नहीं है क्योंकि प्रार्थी रामजीलाल स्वयं की मोटरसाइकिल नंबर आरजे 42 एससी 3316 को तेज गति एवं लापरवाही से अपनी मोटरसाइकिल को चलाता हुआ लाया और अप्रार्थी की मोटरसाइकिल नंबर आरजे 01 एमएस 6954 के टक्कर मारी, जिसकी वजह से उक्त दुर्घटना घटित हुई। प्रार्थिया के पुत्र रामजीलाल के पास वक्त दुर्घटना वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लाइसेन्स नहीं था। वक्त दुर्घटना अप्रार्थी सं. 1 के पास वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस था एवं अप्रार्थी सं. 1 अपनी स्वयं की सही साइड में मोटरसाइकिल चला रहा था। अप्रार्थी संख्या 1 की मोटरसाइकिल नंबर आरजे 01 एमएस 6954 वक्त दुर्घटना अप्रार्थी सं. 3 के यहां बीमित थी, जिस कारण से क्षतिपूर्ति की राशि की अदायगी की जिम्मेदारी अप्रार्थी सं. 3 पर आयद होती है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थी सं. 1 सव्यय खारिज किए जाने का निवेदन किया।

6. **अप्रार्थी संख्या 2** के अनुपस्थित रहने के कारण उसके विरूद्ध दिनांक

17.02.2021 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

7. **अप्रार्थी संख्या 3 बीमा कंपनी** के द्वारा क्लेम याचिका का **जवाब** इस आशय का पेश किया गया है कि विपक्षी बीमा कंपनी का किसी भी प्रकार का कोई क्षतिपूर्ति राशि अदायगी का दायित्व नहीं बनता है क्योंकि उपरोक्त प्रकरण मे प्रार्थी के द्वारा वाहन आरजे 01 एमएस 6954 को गलत रूप से वाहन स्वामी के द्वारा मिलीभगत करके देरी से 5 दिनों के बाद गलत मुकदमा दर्ज करवाकर मात्र क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के आशय से कथित घटना में अन्तर्लिप्त किया है, जिसमें कि गलत तथ्यों व तैयार किए गए गवाहों के आधार पर उल्लेखित वाहन को अन्तर्लिप्त किया है, जबकि उल्लेखित वाहन घटना में लिप्त ही नहीं था। प्रस्तुत प्रकरण में वाहन चालक व आहत एक ही जाति के हैं, जो कि संभवतया परिचित या रिश्तेदार है। उल्लेखित वाहन की लिप्तता उपेक्षा या लापरवाही के कारण ना तो कथित दुर्घटना घटी व ना ही इस कारण से आहत के कोई चोटें लगी। प्रार्थीगण विपक्षी बीमा कम्पनी सं. 3 से किसी प्रकार की कोई क्षतिपूर्ति राशि या उसका कोई भाग या अंश प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। उपरोक्त प्रकरण में उपरोक्त वाहन के बीमित पाए जाने की दशा में भी बीमा कंपनी की जिम्मेदारी नहीं बनती है, क्योंकि कथित दुर्घटना के समय वाहन आरजे 01 एमएस 6954 के चालक के पास वैध एवं प्रभवी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। जबकि प्रत्येक वाहन की बीमा पॉलिसी में यह एक परम आवश्यक शर्त निहित रहती है कि वाहन का चालन स्वामी वैध व प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस धारक से ही करवायेगा अन्यथा विपक्षी बीमा कंपनी की किसी क्षतिपूर्ति राशि की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा वाहन का स्वामी इस तथ्य से अवगत था कि उसके पास वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस नही है फिर भी उसने उल्लेखित वाहन का चालन किया। अतः विपक्षी बीमा कंपनी किसी क्षतिपूर्ति राशि की अदायगी हेतु जिम्मेदार नहीं है। कथित घटना के समय वाहन का पंजीयन प्रमाण पत्र प्रभावशील नहीं था फिर भी वाहन स्वामी के द्वारा आज्ञापक विधिक प्रावधानों की अवहेलना करते हुए वाहन का चालन किया गया। बीमित वाहन का चालन कथित घटना के समय वाहन स्वामी व बीमाधारक के नियोजन मे उनके लाभार्थ व हितार्थ नहीं हो रहा था। अतः विपक्षी बीमा कंपनी किसी क्षतिपूर्ति राशि की अदायगी हेतु जिम्मेदार नहीं है। क्षतिपूर्ति राशि बढ़ी–चढ़ी प्राप्त करने के आशय से प्रार्थीगण ने अपनी आयु व आय गलत अंकित की है। प्रार्थी भविष्य की संभावनाओं के आधार पर किसी प्रकार से कोई क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण ने राजस्थान मोटर व्हीकल एक्ट, 1990 व मोटरयान अधिनियम के निहित प्रारूप व प्रावधानुसार प्रस्तुत नहीं किया है। अतः प्रार्थीगण का विधिक रूप से त्रुटियुक्त प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थीगण विपक्षी

सं. 3 से किसी प्रकार की कोई क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी नही है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया।

8. उभयपक्षों के अभिवचनों के आधार पर क्लेम याचिका सं. 206/2021 में अधिकरण द्वारा दिनांक 22.02.2023 को निम्नांकित विवाद्यक विरचित किये गये:–

1. आया दिनांक 06.04.2019 को समय 07.00 पी.एम. पर प्रार्थिया व उसका पुत्र रामजीलाल एक मोटरसाइकिल संख्या आरजे 42 एससी 3316 पर सवार होकर नया गांव से हरमाडा बालाजी के जा रहे थे हनुमान सिंह के खेत के पास पहुंचे उस समय सामने से एक मोटरसाइकिल संख्या आरजे 01 एमएस 6954 के चालक ने उक्त मोटरसाइकिल को तेजगति एवं लापरवाही पूर्वक चलाते हुए प्रार्थिया के जोरदार टक्कर मारी जिससे प्रार्थिया चोटग्रस्त होकर निशक्त हो गया?
2. आया बीमा कंपनी के द्वारा जवाब क्लेम में उठाई गई आपत्तियों के अनुसार उनके विरूद्ध क्लेम स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है?
3. आया दुर्घटना में प्रार्थी/आहत मनभर देवी के गंभीर चोटे आने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मांग पत्र की मद संख्या 25 में वर्णितानुसार विपक्षीगण से संयुक्त एवं पृथक–पृथक रूप से 22,00,000/– रुपए प्राप्त करने का अधिकारी है?
4. अनुतोष ?

9. उभयपक्षों के अभिवचनों के आधार पर क्लेम याचिका सं. 205/2021 में अधिकरण द्वारा दिनांक 22.02.2023 को निम्नांकित विवाद्यक विरचित किये गये:–

1. आया दिनांक 06.04.2019 को समय 07.00 पी.एम. पर प्रार्थी व उसकी मां मनभर देवी एक मोटरसाइकिल संख्या आरजे 42 एससी 3316 पर सवार होकर नया गांव से हरमाडा बालाजी के जा रहे थे हनुमान सिंह के खेत के पास पहुंचे उस समय सामने से एक मोटरसाइकिल संख्या आरजे 01 एमएस 6954 के चालक ने उक्त मोटरसाइकिल को तेजगति एवं लापरवाही पूर्वक चलाते हुए प्रार्थी के जोरदार टक्कर मारी जिससे प्रार्थी चोटग्रस्त होकर निशक्त हो गया?
2. आया बीमा कंपनी के द्वारा जवाब क्लेम में उठाई गई आपत्तियों के अनुसार उनके विरूद्ध क्लेम स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है?

3. आया दुर्घटना में प्रार्थी/आहत रामजीलाल के गंभीर चोटे आने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मांग पत्र की मद संख्या 25 में वर्णितानुसार विपक्षीगण से संयुक्त एवं पृथक–पृथक रूप से 21,00,000/– रुपए प्राप्त करने के अधिकारी है?

4. अनुतोष ?

10. क्लेम याचिकाओं में प्रार्थीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में ए.डब्ल्यू. 1 रामजीलाल एवं ए.डब्ल्यू. 02 मनभर देवी को पेश कर परीक्षित कराया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में गवाह ए.डब्ल्यू. 1 रामजीलाल ने एफआईआर प्रदर्श 1, चार्जशीट प्रदर्श 2, तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श 3, नक्शामौका प्रदर्श 4, फर्द निरीक्षण मोटरसाइकिल प्रदर्श 5, जिला परिवहन अधिकारी को अवगत करये जाने मोटरसाइकिल प्रदर्श 6, फर्द जप्ती मोटरसाइकिल प्रदर्श 7, नोटिस 133 एमवी एक्ट प्रदर्श 8, नोटिस 134 एमवी एक्ट प्रदर्श 9, मैकेनिक मुआयना मोटरसाइकिल प्रदर्श 10, मजरूब मेडिकल प्रदर्श 11, चोट प्रतिवेदन प्रदर्श 12, एक्सरे प्रदर्श 13, प्रदर्श 14 आरसी, प्रदर्श 15 आईसी, प्रदर्श 16 डीएल, प्रदर्श 17 विकलांग प्रमाण पत्र, प्रदर्श 18 लगायत 31 मेडिकल बिल व इलाज की पर्चिया पेश कर प्रदर्शित करवाई। गवाह ए.डब्ल्यू. 2 मनभर देवी ने दस्तावेज प्रदर्श 1 लगायत 16 असल दस्तावेज की फोटोप्रति, प्रदर्श 15 विकलांगता प्रमाण पत्र, प्रदर्श 16 लगायत 25 मेडिकल बिल व इलाज की पर्चिया व प्रदर्श 26 चोट प्रतिवेदन पत्र, प्रदर्श 27 एक्सरे रिपोर्ट, प्रदर्श 28 रामजीलाल का ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाए गए।

11. उक्त दोनों संयुक्त क्लेम याचिकाओं में अप्रार्थीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह एनए डब्ल्यू 1 प्रदीप अग्रवाल को परीक्षित करवाया एवं दस्तोवजी साक्ष्य में प्रदर्श एनए 01 जांच रिपोर्ट, प्रदर्श एनए 02 सूचना के अधिकार के तहत आवेदन पत्र व प्रदर्श एन.ए. 3 जवाब पेश कर प्रदर्शित करवाए गए।

12. उक्त दोनों क्लेम याचिकाओं में उभयपक्षों की बहस सुनी गई। तर्कों पर विचार किया। पत्रावली का अवलोकन किया। सुसंगत विधि का अध्ययन किया। उक्त दोनों याचिकाओं में विरचित विवाद्यकों पर न्यायालय का निष्कर्ष निम्नानुसार है–

क्लेम याचिका संख्या 206/2021–

विवाद्यक सं. 1 व 2–

1. आया दिनांक 06.04.2019 को समय 07.00 पी.एम. पर प्रार्थीया व उसका पुत्र रामजीलाल एक मोटरसाइकिल संख्या आरजे 42 एससी 3316 पर सवार होकर नया गांव से हरमाडा बालाजी के जा

रहे थे हनुमान सिंह के खेत के पास पहुंचे उस समय सामने से एक मोटरसाइकिल संख्या आरजे 01 एमएस 6954 के चालक ने उक्त मोटरसाइकिल को तेजगति एवं लापरवाही पूर्वक चलाते हुए प्रार्थीया के जोरदार टक्कर मारी जिससे प्रार्थीया चोटग्रस्त होकर निशक्त हो गया?

2. आया बीमा कंपनी के द्वारा जवाब क्लेम में उठाई गई आपत्तियों के अनुसार उनके विरूद्ध क्लेम स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है?

क्लेम याचिका संख्या 205/2021–

विवाद्यक सं. 1 व 2–

1. आया दिनांक 06.04.2019 को समय 07.00 पी.एम. पर प्रार्थी व उसकी मां मनभर देवी एक मोटरसाइकिल संख्या आरजे 42 एससी 3316 पर सवार होकर नया गांव से हरमाडा बालाजी के जा रहे थे हनुमान सिंह के खेत के पास पहुंचे उस समय सामने से एक मोटरसाइकिल संख्या आरजे 01 एमएस 6954 के चालक ने उक्त मोटरसाइकिल को तेजगति एवं लापरवाही पूर्वक चलाते हुए प्रार्थी के जोरदार टक्कर मारी जिससे प्रार्थी चोटग्रस्त होकर निशक्त हो गया?

2. आया बीमा कंपनी के द्वारा जवाब क्लेम में उठाई गई आपत्तियों के अनुसार उनके विरूद्ध क्लेम स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है?

13. उक्त दोनों क्लेम याचिकाओं में विवाद्यक संख्या 1 व 2 को साबित करने का भार प्रार्थीगण पर है। विवाद्यक सं. 1 व 2 उक्त क्लेम याचिका एक–दूसरे से संबंधित होने के कारण सुविधा की दृष्टि से साक्ष्य की पुनरावर्ती से बचने के लिए उक्त दोनों क्लेम याचिकाओं के विवाद्यक संख्या 1 व 2 का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

14. उक्त विवाद्यकों के संबंध में **अधिवक्ता प्रार्थीगण** ने दौराने बहस लिखित बहस पेश करते हुए मुख्य रूप से यह कथन किए कि प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से आरोपी प्रश्नगत वाहन के चालक की गलती व लापरवाही से दुर्घटना कारित होने का तथ्य प्रमाणित है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अप्रार्थीगण के द्वारा किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में दुर्घटना कारित करने वाले वाहन मोटरसाइकिल के नंबर अंकित है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने में पांच दिन का विलंब हुआ है, परन्तु प्रार्थीगण का इलाज करवाना आवश्यक होने से एफ.आई.आर. दर्ज करवाने में विलंब हुआ है। इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण द्वारा दर्ज इत्तला पर बाद अनुसंधान आरोप पत्र में

अप्रार्थी सं. 1 जगदीश के विरूद्ध पेश हुआ है, जिसे साक्ष्य में पेश कर प्रदर्शित करवाया गया है। दुर्घटना कारित करने वाले वाहन मोटरसाइकिल सं. आरजे 01 एमएस 6954 के चालक द्वारा तेज गति, लापरवाही से चलाते हुए प्रार्थीगण के वाहन के टक्कर मारने के फलस्वरूप हुई है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा साक्ष्य से अप्रार्थी सं. 1 जगदीश की लापरवाही का साबित किया गया है। उक्त वाहन का रजिस्टर्ड स्वामी अप्रार्थी सं. 2 नंदकिशोर था, जिसके निर्देशन में ही अप्रार्थी सं. 1 द्वारा वाहन चलाया जा रहा है, अतः वह भी दायित्वाधीन है। प्रार्थीगण के दुर्घटना के फलस्वरूप आई चोटों के संबंध में विकलांगता प्रमाण पत्र मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को वांछित अनुतोष प्रदान किए जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपने तर्को के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किएः–

1. 2024 ACTC (Raj.) 634 United India Insurance Co. Ltd. Vs. Nanchu Ram Jat & Ors.
2. 2021 (1) ACTC (Raj.) 220 SBI General Insurance Co. Ltd. Vs. Harish Chandra & Ors.
3. 2021 (2) ACTC (Raj.) 963 Tata AIG General Insurance Co. Ltd. Vs. Priyanka & Ors.
4. 2021 (2) ACTC (Raj.) 813 HDFC Ergo General Insurance Co. Ltd. Vs. Mariyam & Ors.
5. 2020(2) RAR 490 (Raj.) Mukesh Vs. Rajendra Singh & Ors.

15. दौराने बहस **अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1** ने कथन किया कि प्रार्थीगण ने क्षतिपूर्ति राशि बढ़ा चढ़ाकर मांग की है। अप्रार्थी के द्वारा किसी प्रकार की कोई दुर्घटना कारित नहीं की गई है। अप्रार्थी सं. 1 दुर्घटना के लिए जिम्मेदार नहीं है क्योंकि प्रार्थिया का पुत्र रामजीलाल स्वयं ही मोटरसाइकिल को तेज गति व लापरवाही से चलाते हुए लाया था। उसके पास कोई वैध प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। इस कारण दुर्घटना के लिए वह स्वयं जिम्मेवार है। अप्रार्थी सं. 1 की मोटरसाइकिल अप्रार्थी सं. 3 के यहां बीमित है। यदि क्षतिपूर्ति की राशि की अदायगी किसी कारण से बनती भी है तो वह अप्रार्थी सं. 3 की है। अप्रार्थी सं. 1 की कोई जिम्मेदारी नहीं है। साथ ही याचिका खारिज करने का निवेदन किया।

16. दौराने बहस **अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 3 बीमा कंपनी ने** लिखित बहस पेश करते हुए मुख्य रूप से यह कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा दर्ज प्रकरण मिथ्या है।

वाहन संख्या आरजे 01 एमएस 6954 को घटना में मिथ्या रूप से लिप्त किया गया है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 व 2 एक ही जाति के हैं। दोनों पक्षों ने दुर्भिसंधि की है। प्रथम सूचना रिपोर्ट पांच दिन के विलंब से दर्ज करवाई गई है। दुर्घटनाग्रस्त होने पर प्रार्थीगण के इलाज के संबंध में जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं, उसमें प्रदर्श 17 में बाइक स्लिप होना अंकित है। टक्कर मारने का अंकन नहीं है, जिससे भी उक्त घटना मिथ्या होना प्रकट हुई है। इसके विपरीत जो विकलांगता सर्टिफिकेट बनाया गया है, वह जयपुर से बनवाया गया है, जो फर्जी कूटरचित बनाया गया है। अन्यथा विकलांगता प्रमाण पत्र किशनगढ़ में भी बनाया जा सकता था। किशनगढ़ से विकलांगता प्रमाण पत्र बनाये जाने का कोई कारण नहीं दर्शित किया गया है। वाहन बीमा कंपनी के यहां बीमित रहा है, परंतु वाहन चालक के पास वैध व प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था न ही पंजीयन प्रमाण पत्र था, जिससे बीमा की शर्तों का उल्लंघन होने से बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति के दायित्व के अधीन नहीं है। अतः क्लेम याचिका खारिज करने का निवेदन किया। अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 3 बीमा कंपनी ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किए:–

1. 2004 RAR 543 (Raj.) Mala Ram Vs. Roopa Ram & Ors.
2. 2016(1) ACTC (Raj.) 337 Mahender Vs. Girdhari & Ors.
3. 2015(2) ACTC (Raj.) 1118 Pooja Ratnawat Vs. Parmanand Tiwari & Ors.
4. 2012(2) ACTC (Raj.) 986 Meethu Lal Vs. Bhagat Singh & Ors.
5. Raj Kumar Vs. Ajay Kumar & Anr on 18 October, 2010 (SC) Civil Appeal No. 8981 of 2010

17. उभय पक्षकारान के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली पर आई साक्ष्य का अवलोकन किया गया। अधिवक्तागण की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया।

18. उक्त विवाद्यकों के संबंध में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का विवेचन विश्लेषण किया जाए तो आहतगण **रामजीलाल ए.डब्ल्यू 1** ने अपनी साक्ष्य में मुख्य परीक्षण में यह कथन किये हैं कि दिनांक 06.04.2019 की घटना इस प्रकार घटी की वह व उसकी माताजी श्रीमती मनभर देवी मोटरसाइकिल नं. आरजे 42 एससी 3316 पर सवार होकर गांव से हरमाडा जा रहे थे। हरमाडा से पहले ही हनुमानसिंह के खेत के पास पहुंचे समय करीब सात बजे एक मोटरसाइकिल आरजे 01 एमएस 6954 के चालक ने वाहन को लापरवाही व तेज गति से चलाते हुये

सामने से टक्कर मारी, जिससे वह व उसकी माताजी गंभीर रूप से घायल हो गये। वह व उसकी माताजी इलाज हेतु मार्बल सिटी अस्पताल किशनगढ़ में प्राथमिक उपचार लेकर इलाज हेतु चारभुजा अस्पताल अजमेर रेफर कर दिया। जहां दौराने इलाज दिनांक 06.04.2019 को उसका ऑपरेशन किया गया। उसके पैर में फ्रेक्चर और शरीर पर अंदरूनी चोटें व हाथ पर भी चोट आई थी। वह प्राइवेट नौकरी कर दस हजार रुपये महीने कमाता था। इस दुर्घटना के बाद उसे उठने बैठने व चलने फिरने में परेशानी आती है। उसने इस दुर्घटना बाबत पीएस बादरसिंदरी में प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 41/2019 दर्ज करवाई थी। प्रदर्श 1 एफआईआर, प्रदर्श 2 चार्जशीट, प्रदर्श 3 तहरीरी रिपोर्ट, प्रदर्श 4 नक्शामौका, प्रदर्श 5 फर्द निरीक्षण मोटरसाइकिल, प्रदर्श 6 जिला परिवहन अधिकारी को अवगत कराये जाने मोटरसाइकिल, प्रदर्श 7 फर्द जप्ती मोटरसाइकिल, प्रदर्श 8 नोटिस 133 एमवी एक्ट, प्रदर्श 9 नोटिस 134 एमवी एक्ट, प्रदर्श 10 मैकेनिक मुआयना मोटरसाइकिल, प्रदर्श 11 मजरूफ मेडिकल, प्रदर्श 12 चोट प्रतिवेदन पत्र, प्रदर्श 13 एक्सरे, प्रदर्श 14 आरसी, प्रदर्श 15 आईसी, प्रदर्श 16 डीएल, प्रदर्श 17 विकंलाग प्रमाण पत्र, प्रदर्श 18 लगायत 31 मेडिकल बिल व इलाज पर्चीया पेश की।

19. **अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 3 बीमा कंपनी द्वारा की गई जिरह** में गवाह ने कथन किये कि यह बात सही है कि वाहन चालक उनकी ही जाति का है। यह कहना गलत है कि वाहन चालक उनका रिश्तेदार व परिचित हो। वे इलाज में व्यस्त थे इसलिए समय पर एफआईआर नहीं कर पाये। यह कहना गलत है कि उन्होंने गलत रूप से क्लेम लेने के लिए देरी से एफआईआर कराकर बताई गई मोटरसाइकिल को गलत रूप से घटना में लिप्त किया हो। यह कहना गलत है कि उनकी मोटरसाइकिल स्लिप हो गई हो, जिस कारण उसके तथा उसकी माताजी के चोटें लगी हो, जिसमे बताई गई मोटरसाईकिल 6954 की कोई लिप्तता व उपेक्षा ना रही हो। उन्होंने किस कारण से चोटें लगी डॉक्टर को सही सही बता दिया था। प्रदर्श 19 में ए से बी जगह पर मोटरसाइकिल से स्लिप होने की बात लिखी हो तो वह नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि प्रदर्श 19 में मोटरसाइकिल स्लिप होने की बात इसलिए लिखी है कि उनकी मोटरसाइकिल मात्र स्लिप हुई थी जिसमें मोटरसाइकिल 6954 की कोई लिप्तता व उपेक्षा ना रही हो। अजखुद कहा कि दूसरी मोटरसाइकिल की टक्कर लगने के कारण उनकी मोटरसाइकिल स्लिप हुई थी। यह कहना गलत है कि प्रदर्श 17 गलत बना हुआ हो। यह कहना गलत है कि प्रदर्श 17 बनवाते समय डॉक्टर ने उसका कोई परीक्षण नहीं किया हो। घटना के समय उसकी उम्र 23 साल थी। यह बात सही है कि जिन से उसने प्रदर्श 17

बनवाया है, उनसे उसने कभी इलाज नहीं करवाया। प्रदर्श 17 सम्पूर्ण शरीर का है या नहीं, यह वह नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि जो उसने अपने मेडिकल बिल पेश किये हो वो गलत हो। यह कहना गलत है कि जो उसने अपनी आय बताई हो वो गलत हो। यह कहना सही है कि उसने अपनी आय बाबत कोई दस्तावेज पेश नहीं किया हो। वर्तमान में वह एरिया में प्राइवेट जॉब कर रहा है। यह कहना गलत है कि प्रदर्श 17 से उसे कोई स्थाई निर्योग्यता कारित ना हुई हो। यह कहना गलत है कि स्वयं उपेक्षापूर्ण तरीके से अपनी गलती से दुर्घटनाग्रस्त हुआ हो, जिसमें दुसरी मोटरसाइकिल की कोई गलती ना रही हो। उसका ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है जो 2016 से 2036 तक मोटरसाइकिल चलाने हेतु वैध है। यह कहना गलत है कि क्लेम लेने के लिए उन्होंने पांच दिन देरी से एफआईआर दर्ज कराकर गलत रूप से मोटरसाइकिल को घटना में लिप्त किया हो।

20. अन्य गवाह **ए.डब्ल्यू. 2 मनभर देवी** ने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किए हैं कि चार पांच साल पहले की बात है। वह व उसका बेटा रामजीलाल मोटरसाइकिल से हरमाडा जा रहे थे। समय लगभग सात बजे हरमाडा से पहले पहुंचे उसी समय सामने से एक मोटरसाइकिल वाले उनकी मोटरसाइकिल के जोरदार टक्कर मारी, जिससे वह व उसका पुत्र रामजीलाल घायल हो गये। टक्कर मारने वाली मोटरसाइकिल के नंबर उसके बेटे रामजीलाल ने लिये थे। वह पढ़ी लिखी नहीं है। उसके कूल्हे में फ्रेक्चर व शरीर के अन्य भाग में चोटें कारित हुई थी। उसे व उसके बेटे को दोनों को मार्बल सिटी अस्पताल किशनगढ़ में प्राथमिक उपचार करवाया। उसके बाद उसी दिन चारभुजा अस्पताल अजमेर मे भर्ती रहकर इलाज कराया। दौराने इलाज उसके कूल्हे का ऑपरेशन हुआ। आज भी उसे उठने बैठने, चलने फिरने में काफी परेशानी आती है। वह मजदूरी कर दस हजार रुपये महीने कमा लेती थी जो दुर्घटना के बाद मजदूरी करना बंद हो गया है। इस दुर्घटना से संबंधित प्रकरण सं. 31/2020 रामजीलाल बनाम जगदीश व अन्य के प्रकरण में असल दस्तावेज पेश किये गये, जो प्रदर्श 1 लगायत 16 पेश है व फोटो प्रति इस प्रकरण में पेश है, जो कि 1 लगायत 14 है तथा प्रदर्श 15 विकंलाग प्रमाण पत्र, प्रदर्श 16 लगायत 25 मेडिकल बिल व इलाज पर्चिया व प्रदर्श 26 चोट प्रतिवेदन पत्र, प्रदर्श 27 एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श 28 उसके पुत्र रामजीलाल का ड्राइविंग लाइसेंस पेश किये हैं।

21. **अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 3 बीमा कंपनी द्वारा की गई जिरह** में गवाह ने कथन किये कि यह बात सही है कि वाहन चालक उनकी ही जाति का है। यह कहना गलत है कि वाहन चालक उनका रिश्तेदार व परिचित हो। वे इलाज में व्यस्त थे इसलिए समय पर एफआईआर नहीं कर पाये। यह कहना गलत है कि उन्होंने गलत

रूप से क्लेम लेने के लिए देरी से एफआईआर कराकर बताई गई मोटरसाइकिल को गलत रूप से घटना में लिप्त किया हो। यह कहना गलत है कि उनकी मोटरसाकिल स्लिप हो गई हो, जिस कारण उसके तथा उसके पुत्र के चोटें लगी हो, जिसमें बताई गई मोटरसाइकिल 6954 की कोई लिप्तता व उपेक्षा ना रही हो। उन्होंने किस कारण से चोटें लगी डॉक्टर को सही सही बता दिया था। प्रदर्श 17 में ए से बी जगह पर मोटरसाइकिल से स्लिप होने की बात लिखी हो तो वह नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि प्रदर्श 17 में मोटरसाइकिल स्लिप होने की बात इसलिए लिखी है कि उनकी मोटरसाइकिल मात्र स्लिप हुई थी जिसमें मोटरसाइकिल 6954 की कोई लिप्तता व उपेक्षा ना रही हो। अजखुद कहा कि दूसरी मोटरसाइकिल की टक्कर लगने के कारण उनकी मोटरसाइकिल स्लिप हुई थी। यह कहना गलत है कि प्रदर्श 15 गलत बना हुआ हो। यह कहना गलत है कि प्रदर्श 15 बनवाते समय डॉक्टर ने उसका कोई परीक्षण नहीं किया हो। घटना के समय उसकी उम्र 47 साल थी। यह बात सही है कि जिन से उसने प्रदर्श 15 बनवाया है उनसे उसने कभी इलाज नहीं करवाया। प्रदर्श 15 सम्पूर्ण शरीर का है या नहीं यह वह नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि जो उसने अपने मेडिकल बिल पेश किये हो वो गलत हो। यह कहना गलत है कि जो उसने अपनी आय बताई हो वो गलत हो। यह कहना सही है कि उसने अपनी आय बाबत कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। वर्तमान में वह खेती कर रही है। यह कहना गलत है कि प्रदर्श 15 से उसे कोई स्थाई निर्योग्यता कारित ना हुई हो। यह कहना गलत है कि उसके पुत्र के लापरवाही के कारण घटना कारित हुई हो जिसमें बताई गई दूसरी मोटरसाइकिल की कोई गलती व लिप्तता ना रही हो। यह कहना गलत है कि क्लेम लेने के लिए उन्होंने पांच दिन देरी से एफआईआर दर्ज कराकर गलत रूप से मोटरसाइकिल को घटना में लिप्त किया हो।

22. खण्डन स्वरूप बीमा कंपनी की ओर से गवाह **एन.ए.डब्ल्यू. 1 प्रदीप अग्रवाल** ने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि प्रस्तुत प्रकरण में उसे बीमा कंपनी की ओर से जांचकर्ता नियुक्त किया गया था। जांच के दौरान उसने बीमित वाहन मोटरसाइकिल संख्या आरजे 01 एमएस 6954 को क्लेम लेने के लिए गलत रूप से घटना लिप्त किया हुआ पाया। उसकी जांच रिपोर्ट प्रदर्श एन.ए. 01 है जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। सूचना के अधिकार के तहत आवेदन पत्र प्रदर्श एन.ए. 02 है जिसका जवाब प्रदर्श एन.ए. 03 हैं।

23. अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से की गई जिरह में गवाह ने कथन किया है कि यह वह नहीं बता सकता कि उसे किस दिन जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। यह बात सही है कि उसने बीमा कंपनी के द्वारा जांच की नियुक्ति बाबत् जो नियुक्ति

“Authenticated Document"

पत्र दिया गया था वह उसने आज पत्रावली पर पेश नहीं किया है। यह बात सही है कि उसने गवाहों के बयान इस पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किये हैं क्योंकि उन्होंने बयान देने से मना कर दिया। यह बात सही है कि बांदरसिंदरी थाने की चौकी हरमाडा से लगती है। उसने बांदरसिंदरी थाने से सूचना प्राप्त की है। उसने बांदरसिंदरी थाने की चौकी हरमाडा से कोई सूचना प्राप्त नहीं की। प्रदर्श एनए 3 के पैरा संख्या 3 के जवाब में चाही गई सूचना उसकी जांच रिपोर्ट के साथ में बीमा कंपनी में जमा करवा दी थी।

24. उपरोक्त साक्ष्य के विवेचनानुसार गवाहान ए.डब्ल्यू. 1 रामजीलाल व ए.डब्ल्यू. 2 मनभर देवी ने मौखिक साक्ष्य में दुर्घटना मोटरसाइकिल सं. आर.जे.–01–एम.एस.–6954 के चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही से चलाकर लोकमार्ग में टक्कर मारने के फलस्वरूप होना, जिससे स्वयं के चोटें आना बताया है, जिसका उनकी जिरह में खंडन नहीं हुआ है।

25. उक्त गवाहान ने अपनी साक्ष्य में जो दस्तावेजी साक्ष्य पेश की है उसका अवलोकन किया जाये तो प्रकरण में दर्ज एफ.आई.आर. में बाद अनुसंधान अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध आरोप पत्र पेश किया गया है जो धारा 279, 337, 338 आइपीसी के अपराध में प्रस्तुत किया गया है। उक्त अनुसंधान के दौरान जो नक्शामौका मुर्तिब किया गया है वह प्रदर्श 4 है। उक्त नक्शामौका व हालात मौका में मार्क 'एक्स' स्थान पर दुर्घटनाकारित करने वाली मोटरसाइकिल के चालक द्वारा रोंग साइड में जाकर मारने का उल्लेख है जो दुर्घटना कारित करने वाले वाहन की लापरवाही व उपेक्षा यातायात नियमों के उल्लंघन को प्रमाणित करता है। इसके अतिरिक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी द्वारा वाहन स्वामी को धारा 133 एमवी एक्ट का नोटिस प्रदर्श 8 दिया गया था जिसके जवाब में वाहन स्वामी ने दुर्घटना कारित करने वाले वाहन को जगदीश द्वारा दिनांक 06.04.2019 को चलाये जाने जाने का कथन किया है तथा वाहन चालक जगदीश को भी अनुसंधान अधिकारी द्वारा नोटिस दिया गया है, जो प्रदर्श 9 है। उक्त नोटिस अंतर्गत धारा 134 एमवी एक्ट के जवाब में वाहन चालक द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि मोटरसाइकिल नंबर आरजे 01 एमएस 6954 को लेकर हरमाड़ा से लेकर नया गांव की तरफ जा रहा था। रास्ते में मोटरसाइकिल आरजे 42 एससी 3316 के टक्कर लग गई थी। वक्त दुर्घटना मोटरसाइकिल को वह भी चला रहा था। इस प्रकार उक्त दोनों दस्तावेजों से भी दुर्घटना अप्रार्थी सं. 1 द्वारा कारित किए जाने का तथ्य प्रकट होता है। प्रकरण में जो मैकेनिकल रिपोर्ट दुर्घटना कारित करने वाले वाहन की प्रदर्श 10 मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट पेश की गई है, उसमें भी वाहन की हैडलाइट व शीशा टूटा होना, आगे पीछे का इंडीकेटर टूटा हुआ होना, लेग गार्ड पर रगड़ के

निशान इत्यादि अंकित है। उक्त दस्तावेजों का अप्रार्थी पक्ष की ओर से किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त अनुसंधान में मुर्तिब दस्तावेजों व बाद कार्यवाही प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट से भी दुर्घटना वाहन संख्या आरजे 01 एमएस 6954 के चालक जगदीश द्वारा कारित किये जाने का तथ्य प्रकट हुआ है। इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से मोटरसाइकिल संख्या आरजे 01 एमएस 6954 के चालक की लापरवाही व तेज गति से टक्कर मारने के फलस्वरूप प्रार्थीगण श्रीमती मनभर देवी एवं रामजीलाल का घायल होने का तथ्य प्रकट हुआ है।

26. जहां तक अप्रार्थी बीमा कंपनी की यह आपत्ति है कि प्रकरण में घटना पांच दिन के विलंब से दर्ज करवाई गई है और इस कारण से क्लेम याचिका प्रमाणित तथ्य व दुर्घटना को मिथ्या होना बताया है तो इस संबंध में प्रार्थीगण ने विलंब का उचित कारण उनके अस्पताल में इलाजरत होना बताया है। इस संबंध में जो चिकित्सकीय दस्तावेज पेश किये गये हैं उनका अवलोकन किया जाए तो चिकित्सकीय दस्तावेज प्रदर्श 17 घटना दिवस 06.04.2019 की है जिसमें दुर्घटना से चोटग्रस्त होना का अंकन है तथा दस्तावेज प्रदर्श 18 दिनांक 07.04.2019 का है। इसी प्रकार से प्रार्थी रामजीलाल का चिकित्सकीय दस्तोवज प्रदर्श 19 भी घटना दिवस 06.04.2019 का है जिसमें भी फ्रेक्चर होना बताया है। दुर्घटना के पश्चात प्रार्थीगण का जो इलाज हुआ उसके संबंध में बिल भी पेश किये गये हैं जिससे प्रकट है कि प्रार्थीगण दुर्घटना के पश्चात इलाजरत रहे हैं। दुर्घटना होने के पश्चात प्रथम सूचना रिपोर्ट करवाने से अधिक आवश्यक आहतगण का इलाज करना है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मेडिकल दस्तोवज से उनका दुर्घटना के पश्चात् मार्बल सिटी अस्पताल, किशनगढ़ व चारभुजा ऑर्थोपेडिक अस्पताल, अजमेर में इलाज करवाये जाने का तथ्य प्रकट होता है। अतः जो पांच दिन का विलंब है उक्त विलंब का युक्तियुक्त कारण दस्तावेजों से प्रकट है। उक्त पांच दिन का विलंब इतना अधिक विलंब नहीं है, जो संपूर्ण घटनाक्रम को मिथ्या बनाता हो।

27. इस प्रकार जब कोई व्यक्ति घायल होता है और उसका अपने निवास स्थान से काफी दूर इलाज चलता है तो ऐसी स्थिति में परिजनों से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वह उसी दिन एफ.आई.आर. दर्ज करवाए। अतः प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए यह विलंब सद्भाविक दर्शित होता है। इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत **2011 आर. ए. आर. 81 (एस.सी.) रवि बनाम बद्रीनारायण** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह विधि प्रतिपादित की है कि ''दावा मामलों में निर्णय करते समय प्रथम सूचना रिपोर्ट महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि दावेदार युक्तियुक्त

कारण दर्शित करने में सफल रहे तो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में हुए विलम्ब को घातक नहीं माना जा सकता।'' इस प्रकरण में भी उक्त विवेचन अनुसार एफआईआर देरी से दर्ज कराने का सद्भाविक कारण मौजूद है। अतः एफआईआर दर्ज करवाने में हुए विलंब से प्रार्थीगण के कथन अविश्वसनीय होना प्रकट नहीं होते हैं। अतः अप्रार्थी बीमा कंपनी के उक्त तर्क माने जाने योग्य नहीं है।

28. जहां तक अप्रार्थी बीमा कंपनी का यह तर्क है कि प्रार्थीगण के चिकित्सकीय दस्तावेजों में उनकी बाइक स्लिप होने से चोटें आने का अंकन है, अतः वाहन संख्या आरजे 01 एमएस 6954 से उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर लगने के फलस्वरूप उक्त चोटें आई हों, तथ्य संदेह संदेहास्पद है। इस संबंध में चोट प्रतिवेदन प्रदर्श 12 चिकित्सकीय इलाज की पर्ची प्रदर्श 19 का अवलोकन किया गया जिनमें रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट बाई बाइक स्लिप एट वन आवर बैक अंकन है, परन्तु उक्त चिकित्सकीय पर्ची में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में बाइक का स्लिप होने का अंकन है। इसके अतिरिक्त प्रकरण में जो अनुसंधान किया गया है उसमें भी अनुसंधान में दुर्घटना अप्रार्थी सं. 1 द्वारा लापरवाहीपूर्वक दुर्घटना कारित करने वाले वाहन मोटरसाइकिल आरजे 01 एमएस 6954 से प्रार्थी की मोटरसाइकिल के टक्कर मारकर कारित करने का तथ्य प्रमाणित पाया गया है। प्रार्थीगण ने बतौर गवाह परीक्षण में प्रतिपरीक्षा में इस सुझाव को गलत बताया है कि उनकी मोटरसाइकिल स्लिप हुई थी। दूसरी मोटरसाइकिल की टक्कर लगने के कारण अपनी मोटरसाइकिल स्लिप होना बताया है। अतः ऐसी स्थिति में केवल स्लिप शब्द का डॉक्टर पर्ची में अंकन के आधार पर संपूर्ण घटनाक्रम को मिथ्या नहीं बताया जा सकता है। अनुसंधान के दौरान मुर्तिब नक्शामौका व अंतिम परिणाम से व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को दिये गये नोटिस के जवाब से यह स्पष्ट है कि दुर्घटना वाहन संख्या आरजे 01 एमएस 6954 के चालक द्वारा वाहन को तेज गति व लापरवाही से चलाने के फलस्वरूप ही कारित हुई है। अतः उक्त तर्क माने जाने योग्य नहीं है।

29. जहां तक अप्रार्थी बीमा कंपनी का यह तर्क है कि प्रकरण में प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 व 2 एक ही जाति विशेष के हैं, उनके द्वारा दुर्भिसंधि की गई है तो इस संबंध में अप्रार्थी की ओर से ऐसी कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण की जाति याचिका में जाट दर्शायी गई है, जबकि अप्रार्थी सं. 2 की जाति रैगर होना अंकन है तथा गांव भी भिन्न–भिन्न है। चालक की जाति व गांव प्रार्थीगण की जाति व गांव एक समान के हैं, परन्तु जाति या गांव की समानता के आधार पर उनकी दुर्भिसंधि हो यह नहीं माना जा सकता है। जबकि प्रकरण में अनुसंधान होने के पश्चात अप्रार्थी सं. 1 के द्वारा दुर्घटनाकारित किए जाने का

अपराध प्रमाणित पाया गया है। अतः उक्त तर्क भी माने जाने योग्य नहीं है।

30. इसके अतिरिक्त जहां तक अप्रार्थी बीमा कंपनी का प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत विकलांगता प्रमाण पत्र मिथ्या होने की आपत्ति है तो इस संबंध में विकलांगता प्रमाण पत्र प्रदर्श 26 व 17 को साक्ष्य में प्रदर्शित करवाया गया है। उक्त दोनों सर्टिफिकेट मेडिकल बोर्ड द्वारा राजकीय सैटेलाइट अस्पताल सांगानेर, जयपुर द्वारा जारी गये हैं तथा मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किये गये हैं। उक्त प्रमाण पत्र मेडिकल बोर्ड के चिकित्सको द्वारा सरकारी अस्पताल में कार्यरत होने के दौरान जारी किए गए हैं। अतः ऐसी स्थिति में प्रथमदृष्टया उक्त सर्टिफिकेट मिथ्या होना प्रकट नहीं होते। इसके अतिरिक्त अप्रार्थी उक्त सर्टिफिकेट के संबंध में चिकित्सकों को अपनी साक्ष्य में पेश कर परीक्षित करवा सकता था, परन्तु उसके द्वारा न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण की ओर से न्यायिक दृष्टांत 2020(2) RAR 490 (Raj.) Mukesh Vs. Rajendra Singh & Ors. प्रस्तुत किया गया, जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि निःशक्तता प्रमाण पत्र में संदेह करने का कारण नहीं है क्योंकि उक्त चिकित्सकों के चिकित्सा मण्डल द्वारा जारी किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में जबकि उक्त न्यायिक दृष्टांत के आलोक में भी उक्त विकलांगता प्रमाण पत्र पर संदेह करने का कोई आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है न ही अप्रार्थी पक्ष की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य पेश की गई है, जिससे यह प्रकट हो कि उक्त सर्टिफिकेट मिथ्या या फर्जी है। अतः उक्त तर्क भी माने जाने योग्य नहीं है।

31. जहां तक अप्रार्थी का दुर्घटना कारित करने वाले वाहन का वैध ड्राइविंग लाइसेंस, आर.सी. नहीं होना बताया है तो इस संबंध में प्रार्थीगण द्वारा अपनी साक्ष्य में अप्रार्थी सं. 1 जगदीश का ड्राइविंग लाइसेंस प्रदर्श 16, वाहन संख्या आरजे 01 एमएस 6954 की आरसी प्रदर्श 14 साक्ष्य में पेश कर प्रदर्शित करवाये हैं। इसके साथ ही प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थी/आहत रामजीलाल का भी चालक अनुज्ञा पत्र प्रदर्श 28 पेश कर प्रदर्शित करवाया है। अतः उक्त आपत्तियां माने जाने योग्य नहीं हैं।

32. इस प्रकार से अप्रार्थी द्वारा जो आपत्तियां की गई हैं, वह उपरोक्त विवेचनानुसार प्रमाणित नहीं होती हैं। प्रार्थीगण द्वारा वाहन संख्या आरजे 01 एमएस 6954 के चालक जगदीश द्वारा उक्त वाहन को लापरवाही व तेजी गति से दिनांक 06.04.2019 को नया गांव से हरमाड़ा रोड़ पर चलाकर प्रार्थी रामजीलाल की मोटरसाइकिल जिस पर प्रार्थीगण श्रीमती मनभर देवी एवं रामजीलाल नया गांव से हरमाड़ा बालाजी जा रहे थे, के टक्कर मारकर दुर्घटना कारित करने व दुर्घटना के

फलस्वरूप उन्हें साधारण व गंभीर प्रकृति की चोटें कारित करने का तथ्य प्रमाणित किया है व उक्त टक्कर के फलस्वरूप आई चोटों से प्रार्थी रामजीलाल का व प्रार्थिया श्रीमती मनभर देवी का निःशक्त होने का कथन भी साक्ष्य में किया गया है तथा निशक्तता प्रमाणपत्र के आधार पर प्रार्थी रामजीलाल के 10.80 प्रतिशत व मनभर देवी के 16.08 प्रतिशत निशक्तता पाए जाने का कथन किया है। प्रार्थिया ने क्लेम याचिका में चोटों के फलस्वरूप चलने–फिरने, उठने–बैठने व दैनिक कार्य करने के लिए दूसरों पर निर्भर होना बताया है। साक्ष्य में बतौर गवाह उठने–बैठने, चलने–फिरने में परेशान होना, मजदूरी करना बंद होना बताया है, परंतु प्रार्थिया के जो चोट है, वह कुल्हे की हड्डी का डिस्लोकेशन है। स्थाई विकलांगता पूर्ण से कारित हुई है, यह साक्ष्य से प्रकट नहीं है। इसी प्रकार आहत/प्रार्थी रामजीलाल के दाहिने पैर में फ्रेक्चर है। अन्य चोटें खरोंच के रूप में है। प्रार्थी ने प्राइवेट नौकरी करना बताया है, परंतु क्या कार्य करता है, यह नहीं बताया है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त एक चोट जो कि पैर में फ्रेक्चर के रूप में थी, संपूर्ण शरीर की निशक्तता नहीं मानी जा सकती है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने **राजकुमार बनाम अजय कुमार (2011) 1 एसीसी 343** में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है–

(A) All injuries (or permanent disabilities arising from injuries) do not result in loss of earning capacity.

(B) The percentage of permanent disability with reference to the whole body of a person, cannot be assumed to be the percentage of loss of earning capacity. To put it differently, **the percentage of loss of earning capacity is not the same as the percentage of permanent disability** (expect in a few cases, where the Tribunal on the basis of evidence, concludes that percentage of loss of earning is the same as percentage of permanent disability).

(C) The doctor who treated an injured claimant or who examined him subsequently to assess the extent of his permanent disability can give evidence only in regard te extent of permanent disability. The loss of earning capacity is something that will have to be assessed by the Tribunal with reference to the evidence in entirely.

(D) The same permanent disability may result in different percentages of loss of earning capacity in different persons, depending upon the nature of professions, occupation or job, age,

education and other factors.

33. उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत से स्पष्ट है कि संपूर्ण शरीर के संदर्भ में निशक्तता में प्रतिशत के आधार पर आय अर्जन क्षमता की हानि का प्रतिशत नहीं माना जा सकता है। दूसरे अर्थों में आय अर्जित करने की क्षमता व स्थाई निर्योग्यता का प्रतिशत एक समान नहीं है। आय अर्जन क्षमता भिन्न–भिन्न व्यक्तियों की कार्य की प्रकृति, पेशे, नौकरी, उम्र, शिक्षा व अन्य कारकों पर आधारित होती है। हस्तगत प्रकरण में भी निशक्तता प्रमाण पत्र में वर्णित प्रतिशत आय अर्जन की सक्षमता के बराबर होना साक्ष्य से प्रमाणित नहीं है। अतः प्रार्थीगण पूर्णतया कार्य में असमर्थ हो, यह प्रकट नहीं होता है। समस्त तथ्यों, परिस्थितियों में प्रार्थीगण के कार्य एवं क्षति की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए निशक्तता प्रमाण पत्र में प्रार्थिया मनभर की 16.08 प्रतिशत व प्रार्थी रामजीलाल की 10.80 प्रतिशत निशक्तता के संबंध में उनकी आय अर्जन क्षमता के संबंध में निशक्तता क्रमशः **10 प्रतिशत व 8 प्रतिशत** होना माना जाना उचित है। अतः विवाद्यक संख्या 1 प्रार्थीगण के पक्ष में उक्तानुसार तय किया जाता है तथा विवाद्यक संख्या 2 अप्रार्थीगण के विरूद्ध तय किए जाते हैं।

क्लेम याचिका संख्या 206/2021–

विवाद्यक सं. 3–

आया दुर्घटना में प्रार्थी/आहत मनभर देवी के गंभीर चोटे आने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मांग पत्र की मद संख्या 25 में वर्णितानुसार विपक्षीगण से संयुक्त एवं पृथक–पृथक रूप से 22,00,000/– रुपए प्राप्त करने का अधिकारी है?

क्लेम याचिका संख्या 205/2021–

विवाद्यक सं. 3–

आया दुर्घटना में प्रार्थी/आहत रामजीलाल के गंभीर चोटे आने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मांग पत्र की मद संख्या 25 में वर्णितानुसार विपक्षीगण से संयुक्त एवं पृथक–पृथक रूप से 21,00,000/– रुपए प्राप्त करने के अधिकारी है?

34. उक्त विवाद्यक में दुर्घटना के फलस्वरूप आहत/प्रार्थीगण को दिए जाने योग्य प्रतिकर राशि एवं उत्तरदायित्व के निर्धारण के संबंध में प्रश्न का निस्तारण किया जा रहा है। इस संबंध में अधिकरण के समक्ष दो भिन्न–भिन्न याचिकाएं, जो एक ही घटना से संबंधित है, पेश की गई हैं। **याचिका सं. 206/2021 (सीआईएस सं. 30/2020) श्रीमती मनभर देवी बनाम जगदीश जाट व अन्य** में

प्रार्थिया मनभर देवी ने दुर्घटना के फलस्वरूप स्वयं के चोटें आना बताया है, जिसके संबंध में चिकित्सकीय दस्तोवज व निःशक्तता प्रमाण पत्र पेश कर प्रदर्शित करवाया है, जिससे उसके शरीर पर दाहिने कूल्हे की हड्डी का डिस्लोकेशन होना पाया गया तथा निःशक्तता प्रमाण पत्र में उसके शरीर पर आई चोटों के कारण 16.08 प्रतिशत की निःशक्तता पाई गई है। इस प्रकार प्रार्थिया के दुर्घटना के फलस्वरूप आई चोटों के संबंध में उसके द्वारा जो जांचें करवाई गयी व मेडिकल बिल पेश किये गये हैं, उनमें व्यय करना पड़ा है तथा साथ ही उस दौरान पौष्टिक आहार, दूध, फल इत्यादि में भी व्यय करना पड़ा होगा। प्रार्थिया के दाहिने कूल्हे की हड्डी में डिस्लोकेशन के कारण उसके चलने–फिरने, उठने–बैठने इत्यादि कार्य करने के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहना बताया है तथा उसके 16.08 प्रतिशत शारीरिक निःशक्तता भी कारित होना जाहिर किया है। प्रार्थिया ने अपनी साक्ष्य में वर्तमान में खेती का कार्य करना बताया है तथा याचिका में मजदूरी के कार्य से 15,000/– रुपये मासिक वेतन प्राप्त कर अपने व अपने परिवार का पालन पोषण करने का भी कथन किया है। प्रार्थिया ने अपनी आय के बाबत कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। अतः प्रार्थिया के शरीर पर पायी गयी यह निःशक्तता व मेडिकल बिल अन्य इत्यादि के आधार पर क्षतिपूर्ति राशि नियमानुसार तय किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है–

A **धन संबंधित नुकसान हेतु (For Pecuniary Damage)–**

i (a) **इलाज में हुआ वास्तविक खर्चा –** प्रार्थिया मनभर देवी ने प्रदर्श 18 लगायत 25 दवाइयों के बिल व पर्चियां आदि पेश की हैं, जिसमें देय बिलों की कुल राशि 18,319/–रुपये होती है। अतः अधिकरण के मत में प्रार्थी को राशि **18,319/–**रुपये वास्तविक इलाज के खर्च पेटे दिलाया जाना उचित प्रतीत होता है।

(b) **अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान आनुशंगिक खर्चा –** अस्पताल में भर्ती होने बाबत अस्पताल का बैड हैड टिकट या डिस्चार्ज टिकट पेश नहीं किया गया है। अतः प्रार्थिया अस्पताल में किस दिनांक से कब तक भर्ती रही, यह तथ्य दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं किया गया है, परंतु इलाज हेतु अस्पताल में आने जाने के लिए प्रार्थिया द्वारा वाहन पर भी खर्च किया होगा, जिसके संबंध में **5,000/–रुपये** दिलाया जाना उचित है।

ii(a) **अस्पताल में भर्ती रहने व बाद में इलाज के दौरान आय की हानि बाबत क्षतिपूर्ति –** प्रार्थिया के द्वारा दुर्घटना के फलस्वरूप आई चोटों के कारण अस्पताल में भर्ती बाबत कोई बैड हैड टिकट या डिस्चार्ज टिकट पेश नहीं किया है। अतः प्रार्थिया कब से कब तक अस्पताल में भर्ती रही, ऐसी कोई

दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं है ना ही मौखिक साक्ष्य में अस्पताल में भर्ती रहने बाबत कोई अवधि बताई है। अतः अस्पताल में भर्ती बाबत कोई आय की हानि होना प्रमाणित नहीं किया है। जहां तक इलाज के दौरान आय की हानि का प्रश्न है तो प्रार्थिया ने अपने दाहिने कुल्हे की हड्डी में डिस्लोकेशन के कारण उसका ऑपरेशन होना व कई दिनों तक चलने फिरने में असमर्थ होना भी साक्ष्य में बताया है। हड्डी में फ्रेक्चर के कारण यह स्वाभाविक है कि वह चलने फिरने में असमर्थ रही है तथा मजदूरी का कार्य करने में भी असमर्थ रही है।

प्रार्थिया ने स्वयं का दुर्घटना से पूर्व याचिका में मजदूरी करना बताया है तथा मासिक 15,000/– रुपये अर्जित करने का कथन किया है, परन्तु इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई है। अतः घटना की दिनांक 06.04.2019 राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार न्यूनतम मजदूरी प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए आहत मनभर देवी की अकुशल श्रमिक के रूप में **213/–रुपये प्रतिदिन आय** माना जाता है। उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थिया को अकुशल श्रमिक मानते हुए उसकी **प्रतिदिन आय 213/–रुपये** निर्धारित की गई है। प्रार्थिया के दुर्घटना के फलस्वरूप कुल्हे की हड्डी का डिस्लोकेशन हुआ है। उक्त चोटों के कारण भी वह लगभग 2 माह तक चलने फिरने में कार्य करने में असमर्थ रही होगी। अतः इलाज के दौरान उसे मजदूरी की जो हानि हुई है, उसके लिए दो माह (60 दिवस) की मजदूरी बतौर क्षतिपूर्ति दिलाया जाना उचित है। अतः 60 X 213 = **12,780/– रुपये** क्षतिपूर्ति के बतौर दिलवाया जाना अवधारित किया जाता है।

(b) **स्थाई निशक्तता के कारण भविष्य में आय की क्षति के लिए (Permanent Disability & Loss of Income in Future)–** प्रार्थिया को कारित दुर्घटना के फलस्वरूप भावी आय की क्षति होना भी कथन किया है। प्रार्थिया ने दुर्घटना के फलस्वरूप स्वयं का स्थायी निशक्तता के कारण भविष्य में भी आय की क्षति होना बताया है। इस संबंध में प्रार्थिया ने अपनी याचिका में अपने शरीर पर आई चोटों की वजह से दैनिक दिनचर्या व जीविकोपार्जन में असमर्थ होना बताया है तथा इस संबंध में शारीरिक निशक्तता प्रमाण–पत्र प्रदर्श 15 पेश किया गया है। जिसके अनुसार उसके 16.08 प्रतिशत शारीरिक निशक्तता मेडिकल बोर्ड द्वारा बताई गई है तथा इस संबंध में प्रार्थिया ने अपनी याचिका व साक्ष्य में उठने बैठने चलने फिरने में परेशानी आना बताया है। **न्यायिक–दृष्टांत 2022 (1) आरएआर 504 (राज.) राजमल उर्फ राजेन्द्र बनाम कैलाश गुडस ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन वगैरह** में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि स्थायी निशक्तता की स्थिति में उसकी आयु के अनुसार भावी प्रत्याशा की क्षति भी

दिलाई जावे तथा इस प्रकरण में भी प्रार्थी को भावी प्रत्याशा की राशि दिलवाया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रार्थिया ने अपनी आयु के संबंध में अपने आधार कार्ड की प्रति पेश की है, जिसमें उसकी जन्म दिनांक 01.01.1972 अंकित है, जिससे प्रार्थिया की घटना दिनांक को आयु 47 वर्ष होना प्रकट होता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थिया की **आयु 47 वर्ष अभिनिर्धारित की जाती है।** प्रार्थी ने दुर्घटना दिनांक 06.04.2019 की होना बताया है तथा स्वयं का मजदूरी का कार्य कर प्रतिमाह 15,000/–रुपये की मासिक आय अर्जित करना साक्ष्य शपथ में बताया है, परंतु कोई साक्ष्य पेश नहीं की है। अतः राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार न्यूनतम मजदूरी प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व विवेचनानुसार आहत की आय अकुशल श्रमिक के रूप में 213/– रुपये प्रतिदिन होना माना जाता है। उपरोक्त विवचेनानुसार प्रार्थिया को अकुशल श्रमिक मानते हुए उसकी **प्रतिदिन आय 213/– रुपये** निर्धारित की गई है। प्रार्थिया की आयु 47 वर्ष दृष्टिगत रखते हुए उक्त आय में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **न्यायिक–दृष्टांत नेशनल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी एआईआर 2017 एससी 5157 व सरला वर्मा व अन्य बनाम देहली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन व अन्य दिनांक 15.04.2009 एआईआर 2009 एससी 3104** में अभिनिर्धारित अनुसार प्रार्थिया के स्वरोजगार की श्रेणी में होने व उसकी उम्र 47 वर्ष से होने से 25 प्रतिशत (213 X 30 = 6390/– मासिक आय के आधार पर) राशि 1597/– रुपये भावी प्रत्याशा के रूप में जोड़े जाने पर आहत की **मासिक आय 7,987/– रुपये** अवधारित की जाती है। प्रार्थिया ने ऐसी कोई साक्ष्य पेश नहीं की है कि वह पूर्ण रूप से कार्य करने की स्थिति में न हो। प्रार्थिया ने स्थायी निशक्तता प्रमाण–पत्र प्रदर्श 15 पेश किया है, जिसमें 16.08 प्रतिशत शारीरिक निशक्तता होना पायी गई है। उक्त निशक्तता के कारण वह कार्य करने में पूर्ण रूप से असमर्थ हो, ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है। पूर्व विवेचनानुसार प्रार्थिया की आय अर्जन सक्षमता के संबंध में निशक्तता अधिकरण द्वारा 10 प्रतिशत मानी गई है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए तथा प्रार्थिया की चोट एवं प्रार्थिया की आय एवं कार्य की प्रकृति को देखते हुए प्रार्थिया की स्थायी निर्योग्यता 16.08 के स्थान पर 10 प्रतिशत निर्धारित की जाकर आय का निर्धारण किया जाना उचित है। **न्यायिक–दृष्टांत नेशनल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी एआईआर 2017 एससी 5157 व सरला वर्मा व अन्य बनाम देहली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन व अन्य दिनांक 15.04.2009 एआईआर 2009 एससी 3104** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार पूर्वानुसार प्रार्थिया की आयु 47 वर्ष निर्धारित करते हुए भावी आय की क्षति हेतु **13 के गुणांक** को प्रयुक्त करते हुए

7,987 X 13 X 12 X 10/100 = **1,24,597/– रुपये** की क्षतिपूर्ति दिलवाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

A **धन से भिन्न नुकसान हेतु** (For Non– Pecuniary Damage)–

(i) **मानसिक संताप, कष्ट एवं वेदना –** प्रार्थिया के शरीर पर आई गंभीर प्रकृति की चोटों के कारण जिसमें उसके दाहिने कूल्हे की हड्डी अस्थिभंग है, के कारण वह कई दिनों तक शारीरिक व मानसिक रूप से पीड़ित रही है। उसका ऑपरेशन भी हुआ है। दैनिक कार्य नहीं कर पाई है। अतः प्रार्थिया को **30,000**/– रुपये मानसिक व शारीरिक वेदना, कष्ट व संताप की पूर्ति के रूप में दिलाया जाना उचित प्रतीत होता है।

35. अतः उक्तानुसार प्रार्थिया/आहत को निम्न क्षतिपूर्ति राशि दिलाई जाना न्यायोचित प्रतीत होता है–

क्रमांक	**मद**	**क्षतिपूर्ति राशि**
1	इलाज में हुआ वास्तविक खर्च	**18,319/–रुपये**
2	परिवहन हेतु	**5,000/–रुपये**
3	अस्पताल में भर्ती रहने व बाद में इलाज के दौरान आय की हानि बाबत क्षतिपूर्ति	**12,780/–रुपये**
4	स्थाई निशक्तता के कारण भविष्य में आय की क्षति के लिए	**1,24,597/–रुपये**
5	गंभीर व साधारण चोट, शारीरिक व मानसिक वेदना, कष्ट एवं संताप हेतु कुल	**30,000/–रुपये**
	कुल	**1,90,696/–रुपये**

क्लेम याचिका संख्या 205/2021–

विवाद्यक सं. 3–

आया दुर्घटना में प्रार्थी/आहत रामजीलाल के गंभीर चोटे आने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मांग पत्र की मद संख्या 25 में वर्णितानुसार विपक्षीगण से संयुक्त एवं पृथक–पृथक रूप से 21,00,000/– रुपए प्राप्त करने के अधिकारी है?

36. उक्त विवाद्यक के संबंध में प्रार्थी रामजीलाल ने दुर्घटना के फलस्वरूप स्वयं के चोटें आना बताया है, जिसके संबंध में चोट प्रतिवेदन प्रदर्श 12 साक्ष्य में प्रदर्शित करवाई गई है, जिसमें उसके शरीर पर पांच चोटें आना अंकित है।

37. आहत ने घटना के पश्चात् इलाज के लिए दुर्घटना दिनांक को मार्बल सिटी

अस्पताल, किशनगढ़ में प्राथमिक उपचार करवाना तथा उसके पश्चात् उच्च इलाज हेतु चारभुजा अस्पताल, अजमेर में रेफर किया जाना जहां दिनांक 06.04.2019 को उसका ऑपरेशन होना बताया है।

38. इस प्रकार एक्सरे, दवाइयां, विभिन्न जांचे, ऑपरेशन, ब्लड व्यवस्था तथा इलाज में, पौष्टिक आहार दूध, फल आदि पर काफी चिकित्सकीय व्यय करना पड़ा हैं। दाहिने पैर व हाथ में गंभीर चोट कारित होना भी बताया है, जिसके कारण शपथकर्ता की कार्य क्षमता, वजन उठाने, दैनिक जीवन के क्रिया कलाप सम्पन्न करने की क्षमता में स्थायी रूप निःशक्तता कारित हुई है, जो आजीवन रहना एवं भविष्य में मजदूरी का कार्य नहीं कर सकने, अपनी साक्ष्य में बताया है। गवाह ने स्वयं का दुर्घटना से पूर्व प्राइवेट नौकरी से मासिक आय 10,000/–रुपये अर्जित करना बताया है तथा स्थायी निशक्तता के संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जो प्रदर्श 17 है, जिसमें आहत के शरीर में दुर्घटना के पश्चात् शरीर पर 10.80 प्रतिशत निशक्तता पायी गई है। अतः उक्त साक्ष्य के विवेचन के आधार पर प्रार्थी को क्षतिपूर्ति राशि निम्नानुसार तय किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है–

A धन संबंधित नुकसान हेतु (For Pecuniary Damage)–

i (a) इलाज में हुआ वास्तविक खर्चा – प्रार्थी ने प्रदर्श 20 लगायत 31 दवाइयों के बिल व पर्चियां आदि पेश की हैं, जिसमें प्रदर्श 28 दवाइयों का रिटर्न बिल राशि 444/–रुपये को घटाने के पश्चात् देय बिलों की कुल राशि 22,134/–रुपये होती है। अतः अधिकरण के मत में प्रार्थी को राशि **22,134/–**रुपये वास्तविक इलाज के खर्च पेटे दिलाया जाना उचित प्रतीत होता है।

(b) **अस्पताल में भर्ती रहने के दौराने आनुशंगिक खर्चा –** अस्पताल में भर्ती होने बाबत अस्पताल का बैड हैड टिकट या डिस्चार्ज टिकट पेश नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी अस्पताल में किस दिनांक से कब तक भर्ती रहा, यह तथ्य दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं किया गया है, परंतु इलाज हेतु अस्पताल में आने जाने के लिए प्रार्थी द्वारा वाहन पर भी खर्च किया होगा, जिसके संबंध में **5,000/–रुपये** दिलाया जाना उचित है।

ii(a) **अस्पताल में भर्ती रहने व बाद में इलाज के दौरान आय की हानि बाबत क्षतिपूर्ति –** प्रार्थी के द्वारा दुर्घटना के फलस्वरूप आई चोट के कारण अस्पताल में भर्ती बाबत कोई बैड हैड टिकट या डिस्चार्ज टिकट पेश नहीं किया है। अतः प्रार्थी कब से कब तक अस्पताल में भर्ती रहा, ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं है ना ही मौखिक साक्ष्य में अस्पताल में भर्ती रहने बाबत कोई अवधि बताई है। अतः अस्पताल में भर्ती बाबत कोई आय की हानि होना प्रमाणित नहीं

किया है। जहां तक इलाज के दौरान आय की हानि का प्रश्न है तो प्रार्थी ने अपने दाहिने पैर और हाथ में गंभीर चोट के कारण उसका ऑपरेशन होना व कई दिनों तक चलने फिरने में असमर्थ होना भी साक्ष्य में बताया है। दाहिने पैर में फ्रेक्चर के कारण यह स्वाभाविक है कि वह चलने फिरने में असमर्थ रहा है तथा मजदूरी का कार्य करने में भी असमर्थ रहा है।

39. प्रार्थी ने स्वयं का दुर्घटना से पूर्व याचिका में प्राइवेट नौकरी कर मासिक 10,000/– रुपये अर्जित करने का कथन किया है, परन्तु इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई है। अतः घटना की दिनांक 06.04.2019 राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार न्यूनतम मजदूरी प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए आहत को अकुशल श्रमिक के रूप में **213/–रुपये प्रतिदिन आय** माना जाता है। उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी को अकुशल श्रमिक मानते हुए उसकी **प्रतिदिन आय 213/–रुपये** निर्धारित की गई है। प्रार्थी के दुर्घटना के फलस्वरूप आई चोटों के कारण वह लगभग 2 माह तक चलने फिरने में कार्य करने में असमर्थ रहा होगा। अतः इलाज के दौरान उसे मजदूरी की जो हानि हुई है, उसके लिए दो माह (60 दिवस) की मजदूरी बतौर क्षतिपूर्ति दिलाया जाना उचित है। अतः 60 X 213 = **12,780/– रुपये** क्षतिपूर्ति के बतौर दिलवाया जाना अवधारित किया जाता है।

(b) **स्थाई निशक्तता के कारण भविष्य में आय की क्षति के लिए (Permanent Disability & Loss of Income in Future)–** प्रार्थी को कारित दुर्घटना के फलस्वरूप भावी आय की क्षति होना भी कथन किया है। प्रार्थी ने दुर्घटना के फलस्वरूप स्वयं का स्थायी निशक्तता के कारण भविष्य में भी आय की क्षति होना बताया है। इस संबंध में प्रार्थी ने अपनी याचिका में अपने शरीर पर आई चोटों की वजह से दैनिक दिनचर्या व जीविकोपार्जन में असमर्थ होना बताया है तथा इस संबंध में शारीरिक निशक्तता प्रमाण–पत्र प्रदर्श 17 पेश किया गया है। जिसके अनुसार उसके 10.80 प्रतिशत शारीरिक निशक्तता मेडिकल बोर्ड द्वारा बताई गई है तथा इस संबंध में प्रार्थी ने अपनी याचिका व साक्ष्य में उठने बैठने चलने फिरने में परेशानी आना बताया है। **न्यायिक–दृष्टांत 2022 (1) आरएआर 504 (राज.) राजमल उर्फ राजेन्द्र बनाम कैलाश गुडस ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन वगैरह** में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि स्थायी निशक्तता की स्थिति में उसकी आयु के अनुसार भावी प्रत्याशा की क्षति भी दिलाई जावे तथा इस प्रकरण में भी प्रार्थी को भावी प्रत्याशा की राशि दिलवाया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रार्थी ने अपनी आयु के संबंध में अपने आधार कार्ड की प्रति पेश की है, जिसमें उसकी जन्म दिनांक 20.07.1996 अंकित है, जिससे

प्रार्थी की घटना दिनांक को आयु 23 वर्ष होना प्रकट होता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी की **आयु 23 वर्ष अभिनिर्धारित की जाती है।** प्रार्थी ने दुर्घटना दिनांक 06.04.2019 की होना बताया है तथा स्वयं का प्राइवेट नौकरी का कार्य कर प्रतिमाह 10,000/–रुपये की मासिक आय अर्जित करना साक्ष्य शपथ में बताया है, परंतु कोई साक्ष्य पेश नहीं की है। अतः राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार न्यूनतम मजदूरी प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व विवेचनानुसार आहत की आय अकुशल श्रमिक के रूप में 213/– रुपये प्रतिदिन होना माना जाता है। उपरोक्त विवचेनानुसार प्रार्थी को अकुशल श्रमिक मानते हुए उसकी **प्रतिदिन आय 213/– रुपये** निर्धारित की गई है। प्रार्थी की आयु 23 वर्ष दृष्टिगत रखते हुए उक्त आय में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **न्यायिक–दृष्टांत नेशनल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी एआईआर 2017 एससी 5157 व सरला वर्मा व अन्य बनाम देहली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन व अन्य दिनांक 15.04.2009 एआईआर 2009 एससी 3104** में अभिनिर्धारित अनुसार प्रार्थी के स्वरोजगार की श्रेणी में होने व उसकी उम्र 40 वर्ष से कम होने से 40 प्रतिशत (213 X 30 = 6390/– मासिक आय के आधार पर) राशि 2556/– रुपये भावी प्रत्याशा के रूप में जोड़े जाने पर आहत की **मासिक आय 8,946/– रुपये** अवधारित की जाती है। प्रार्थी ने ऐसी कोई साक्ष्य पेश नहीं की है कि वह पूर्ण रूप से कार्य करने की स्थिति में न हो। प्रार्थी ने स्थायी निशक्तता प्रमाण–पत्र प्रदर्श 17 पेश किया है, जिसमें 10.80 प्रतिशत शारीरिक निशक्तता होना पायी गई है। उक्त निशक्तता के कारण वह कार्य करने में पूर्ण रूप से असमर्थ हो, ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है। पूर्व विवेचनानुसार प्रार्थी की आय अर्जन सक्षमता के संबंध में निशक्तता अधिकरण द्वारा 8 प्रतिशत मानी गई है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए तथा प्रार्थी की चोट एवं प्रार्थी की आय एवं कार्य की प्रकृति को देखते हुए प्रार्थी की स्थायी निर्योग्यता 10.80 के स्थान पर 8 प्रतिशत निर्धारित की जाकर आय का निर्धारण किया जाना उचित है। **न्यायिक–दृष्टांत नेशनल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी एआईआर 2017 एससी 5157 व सरला वर्मा व अन्य बनाम देहली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन व अन्य दिनांक 15.04.2009 एआईआर 2009 एससी 3104** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार पूर्वानुसार प्रार्थी की आयु 23 वर्ष निर्धारित करते हुए भावी आय की क्षति हेतु **18 के गुणांक** को प्रयुक्त करते हुए **8,946** X 18 X 12 X 8/100 = **1,54,587/– रुपये (राउण्ड ऑफ करने पर)** की क्षतिपूर्ति दिलवाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

A धन से भिन्न नुकसान हेतु (For Non– Pecuniary Damage)–

(i) **मानसिक संताप, कष्ट एवं वेदना –** प्रार्थी के शरीर पर आई गंभीर प्रकृति की चोटों के कारण जिसमें उसके दाहिने पैर की हड्डी अस्थिभंग है, के कारण वह कई दिनों तक शारीरिक व मानसिक रूप से पीड़ित रहा है। उसका ऑपरेशन भी हुआ है। दैनिक कार्य नहीं कर पाया है। अतः प्रार्थी को **30,000/–** रुपये मानसिक व शारीरिक वेदना, कष्ट व संताप की पूर्ति के रूप में दिलाया जाना उचित प्रतीत होता है।

40. अतः उक्तानुसार प्रार्थी/आहत को निम्न क्षतिपूर्ति राशि दिलाई जाना न्यायोचित प्रतीत होता है–

क्रमांक	**मद**	**क्षतिपूर्ति राशि**
1	इलाज में हुआ वास्तविक खर्च	**22,134/–रुपये**
2	परिवहन हेतु	**5,000/–रुपये**
3	अस्पताल में भर्ती रहने व बाद में इलाज के दौरान आय की हानि बाबत क्षतिपूर्ति	**12,780/–रुपये**
4	स्थाई निशक्तता के कारण भविष्य में आय की क्षति के लिए	**1,54,587/–रुपये**
5	गंभीर व साधारण चोट, शारीरिक व मानसिक वेदना, कष्ट एवं संताप हेतु कुल	**30,000/–रुपये**
	कुल	**2,24,501/–रुपये**

<u>क्लेम याचिका संख्या 206/2021–</u>
<u>क्लेम याचिका संख्या 205/2021–</u>

41. चूंकि दुर्घटना तिथि को वाहन **मोटरसाइकिल नं. आर.जे.–01–एम.एस.–6954** का चालक अप्रार्थी संख्या 01 था व स्वामी अप्रार्थी संख्या 02 था तथा उक्त वाहन वक्त दुर्घटना अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कम्पनी के यहां बीमित था। ऐसी स्थिति में निर्धारित की गई क्षतिपूर्ति राशि अदायगी की जिम्मेदारी अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 03 की संयुक्तः व पृथक–पृथक होगी। अतः यह विवाद्यक उक्तानुसार प्रार्थीगण के पक्ष में आंशिक रूप से निर्णीत किए जाते हैं।

<u>अनुतोषः</u>–

42. उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी/आहतगण विवाद्यक संख्या 1 व 3 को अपने पक्ष में प्रमाणित करने में सफल रहे हैं तथा विवाद्यक 2 अप्रार्थीगण के विरूद्ध तय किया गया है। अतः प्रार्थी/आहत श्रीमती मनभर देवी क्षतिपूर्ति के रूप में कुल राशि **1,90,696/– रुपये** तथा प्रार्थी/आहत रामजीलाल क्षतिपूर्ति के रूप में

कुल राशि **2,24,501/– रुपये** अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 से संयुक्ततः व पृथक–पृथक प्राप्त करने के अधिकारी हैं। प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक 15.02.2020 से वसूली तक देय ब्याज कुल अवार्ड राशि पर 07 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज दिलाया जाना भी न्यायोचित प्रतीत होता है। उक्तानुसार प्रार्थीगण की क्लेम–याचिकाएं आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। शेष क्लेम साक्ष्य के अभाव में अस्वीकार किया जाता है।

– **पंचाट** –

43. परिणामस्वरूप क्लेम याचिका संख्या 206/2021 श्रीमती मनभर देवी बनाम जगदीश व अन्य **तथा** क्लेम याचिका संख्या 205/2021 रामजीलाल बनाम जगदीश व अन्य उक्तानुसार आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर क्लेम याचिका संख्या 206/2021 श्रीमती मनभर देवी बनाम जगदीश व अन्य में प्रार्थिया श्रीमती मनभर देवी **अप्रार्थी सं. 3** से कुल राशि **1,90,696/– रुपये तथा** क्लेम याचिका संख्या 205/2021 रामजीलाल बनाम जगदीश व अन्य में प्रार्थी रामजीलाल **अप्रार्थी सं. 3** से कुल राशि **2,24,501/– रुपये** प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

44. अतः **अप्रार्थी संख्या 1 जगदीश जाट** पुत्र श्री भंवर लाल जाट, उम्र 31 वर्ष, निवासी नयागांव (हरमाडा) तहसील रूपनगढ़, जिला अजमेर राजस्थान **(चालक वाहन संख्या आर.जे.–01–एम.एस.–6954), अप्रार्थी संख्या 2** नन्द किशोर पुत्र श्री नाथू जी, उम्र 45 वर्ष निवासी गगवाना, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर, **(रजिस्टर्ड स्वामी वाहन संख्या आर.जे.–01–एम.एस.–6954) एवं अप्रार्थी संख्या 3** दी ओरियन्टल इंश्योरेन्स कम्पनी लि., जरिये प्रबन्धक कार्यालय तृतीय मंजिल, आनन्द भवन, संसार चन्द रोड, जयपुर, **(बीमित वाहन संख्या आर.जे. 01 एमएस 6954)** के विरूद्ध संयुक्ततः एवं पृथक–पृथक रूप से क्लेम याचिका संख्या 206/2021 श्रीमती मनभर देवी बनाम जगदीश व अन्य में प्रार्थिया श्रीमती मनभर देवी कुल राशि **1,90,696/– रुपये तथा** क्लेम याचिका संख्या 205/2021 रामजीलाल बनाम जगदीश व अन्य में प्रार्थी रामजीलाल कुल राशि **2,24,501/– रुपये** प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक 15.02.2020 से वसूली तक देय ब्याज कुल अवार्ड राशि पर 07 प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज अदा किए जाने का अंतिम पंचाट पारित किया जाता है। **चूंकि उक्त वाहन बरवक्त दुर्घटना अप्रार्थी सं. 3 के यहां बीमित था, ऐसी स्थिति में उक्त राशि की अदायगी की जिम्मेदारी अप्रार्थी सं. 3 बीमा कंपनी की होगी।** प्रार्थी द्वारा दोषरहित दायित्व के तहत पूर्व में कोई राशि प्राप्त कर ली गई है तो क्षतिपूर्ति की राशि में से समायोजन कर शेष राशि प्रार्थी को दी जाये एवं इसी प्रकार से पूर्व प्रदत्त किसी

ब्याज की राशि का समायोजन इसकी गणना के समय किया जावे। उक्त प्रतिकर राशि का भुगतान होने पर प्रार्थीगण प्रतिकर राशि राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। प्रार्थीगण की प्रतिकर राशि का विभाजन निम्न प्रकार किया जाता है–

1. क्लेम याचिका सं. 206/2021 श्रीमती मनभर देवी बनाम जगदीश व अन्य				
क्र.स.	**नाम प्रार्थिया**	**बचत खाते में नकद देय राशि (रुपये में)**	**सावधि खाते में जमा निवेशित राशि**	**राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि की अवधि**
1	मनभर देवी	**60 %**	**40 %**	**1 वर्ष**

2. क्लेम याचिका सं. 205/2021 रामजीलाल बनाम जगदीश व अन्य				
क्र.स.	**नाम प्रार्थी**	**बचत खाते में नकद देय राशि (रुपये में)**	**सावधि खाते में जमा निवेशित राशि**	**राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि की अवधि**
1	रामजीलाल	**60 %**	**40 %**	**1 वर्ष**

45. प्रार्थीगण को प्राप्त होने वाली प्रतिकर राशि पर अर्जित संपूर्ण ब्याज राशि का भुगतान प्रार्थीगण को उनके बचत खाते के माध्यम से किया जायेगा।

46. प्रार्थीगण को स्वयं के सावधि जमा राशियों पर त्रैमासिक अंतराल पर ब्याज जरिये बचत खाता देय होगा। सावधि जमा योजनाओ में जमा राशियों को इस अधिकरण की इजाजत के बिना विभाजित, अंतरित एवं प्रभावित नहीं किया जायेगा ना ही अधिकरण की अनुमति के बिना प्रार्थीगण सावधि जमा राशियों का अवधि पूर्व भुगतान प्राप्त कर सकेंगे।

47. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 6237/2017 ICICI Lombard General Insurance बनाम राजस्थान राज्य व अन्य के दिशा–निर्देशों की पालना में **अप्रार्थी सं. 3 को आदेश दिया जाता है कि वह कुल अवार्ड राशि एवं ब्याज का भुगतान 02 माह में करे एवं इस हेतु अधिकरण के खाता संख्या 21054002293, राजस्थान ग्रामीण बैंक, शाखा किशनगढ़, भाट मोहल्ला ओपोजिट स्वास्तिक टायर मदनगंज किशनगढ जिला अजमेर,** IFSC Code **–RMGB0001054 में जरिये NEFT/RTGS जमा कराये व विहित प्रारूप में इसकी सूचना अधिकरण को उपलब्ध करवाई जावे।** साथ ही जमा अवार्ड की सूचना की प्रति प्रार्थीगण को दी जावे। तद्नुसार अंतिम पंचाट नियमानुसार तैयार किया जावे।

यह भी आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण अविलंब अपने रजिस्टर्ड बैंक के बचत खाता के पासबुक के प्रथम पृष्ठ की प्रमाणित प्रति जिस पर प्रार्थीगण की बैंक द्वारा प्रमाणित फोटो लगी हो अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करे। न्यायालय में पेश होने पर व अवार्ड राशि जमा होने पर प्रार्थीगण के पक्ष में पारित अवार्ड राशि उसके बैंक खाते में जमा करवाने हेतु बैंक को सूचना दी जावे।

(शालिनी शर्मा)
मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण एवं
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–2
किशनगढ़, जिला अजमेर।

48. निर्णय आज दिनांक 30 जून, 2026 लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शालिनी शर्मा)
मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण एवं
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–2
किशनगढ़, जिला अजमेर।

GANPAT SINGH SOLANKI
Steno Gr. II “Authenticated Document”
Digitally signed by GANPAT SINGH SOLANKI
Date: 2026.07.03 12:22:29 +0530